<u>शोध का विषय</u>

झारखण्ड राज्य के पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण विकास की भूमिका: गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड के विशेष सन्दर्भ में

पीएच.डी. शोध प्रारूप

राजनीति विज्ञान विभाग
राँची विश्वविद्यालय राँची
(सामाजिक विज्ञान संकाय)

शोध निर्देशक

डॉ. रोशन शान्तिनन्दन टेटे
सहायक प्राध्यापक
सिमडेगा महाविद्यालय, सिमडेगा
राँची विश्वविद्यालय, राँची

शोधार्थी

अगस्तुस एक्का
सहायक प्राध्यापक
राजनीति विज्ञान विभाग
परमवीर अल्बर्ट एक्का मेमोरियल
महाविद्यालय, चैनपुर, गुमला
राँची विश्वविद्यालय, राँची

प्रस्तावित अनुसन्धान कार्य की रुपरेखा

शोध विषय की अद्यतन स्थिति

संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम (1992) के पश्चात भारतीय ग्रामीण राजनीतिक व्यवस्था में पंचायत को आमने–सामने, खुले और प्रत्यक्ष लोकतंत्र के एक मंच के रूप में मान्यता प्रदान किया है. भारतीय संविधान ने ग्राम पंचायत को त्रिस्तरीय बनाया है जिसमें जिला परिषद, पंचायत समिति तथा ग्राम पंचायत की व्यवस्था किया गया है, जिसका मुख्य काम ग्रामीण स्तर पर आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय स्थापित करना है, साथ ही साथ ग्यारहवीं अनुसूची के तहत प्रमुख विषयों के योजनाओं के तहत क्रियान्वयन करना है. सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि पंचायती राज व्यवस्था के तहत संवैधानिक सुधार के माध्यम से कमजोर वर्ग जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं को विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया है जो लोकतंत्र में भागीदारी और लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा देता है.

73वें संविधान संशोधन अधिनियम(1992) के तहत पंचायती राज व्यवस्था को भारत के प्रत्येक राज्यों में लागू किया गया. झारखण्ड राज्य में पंचायत चुनाव की शुरुआत 2010 में हुआ था. झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 के संशोधन के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का प्रावधान किया गया जिसमें झारखण्ड के अधिसूचित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों को 100 प्रतिशत तथा गैर–अधिसूचित क्षेत्र में 50 प्रतिशत आरक्षण की विशेष स्थिति प्रदान किया गया, साथ ही महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया. झारखण्ड के गुमला को अधिसूचित क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है. झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम 2001 के संशोधन के अनुसार प्रत्येक 5000 ग्रामीण जनसँख्या पर एक ग्राम पंचायत का प्रावधान है, तथा प्रत्येक 500 ग्रामीण जनसँख्या पर एक पंचायत सदस्य के गठन का प्रावधान है. ग्राम पंचायत के प्रधान मुखिया होते हैं, जिसका कार्यकाल पाँच वर्ष का होता है.

झारखण्ड के गुमला जिले का क्षेत्रफल 5327 वर्ग किलोमीटर है तथा गुमला की जनसँख्या 12,40,000 है. गुमला झारखण्ड के दक्षिण–पश्चिम भाग में अवस्थित है. 18 मई 1983 को गुमला जिला राँची जिले से बना है. वर्तमान में गुमला में तीन उप–विभाजन हैं– गुमला,

चैनपुर और बसिया. जिले की मुख्य आर्थिक व्यवस्था कृषि, वन, उत्पाद, पशुपालन तथा खनन इत्यादि है. चैनपुर प्रखंड, गुमला से 55 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। यह पूरब में गुमला और घाघरा ब्लॉक, पश्चिम में डुमरी ब्लॉक, उत्तर में बिशुनपुर और घाघरा और क्रमशः दक्षिण में रायडीह एवं अल्बर्ट एक्का ब्लॉक से घिरा हुआ है। यह नदियों और जंगलों से घिरा है। इस प्रखंड में जनजातियों का वर्चस्व है, मुख्यतः उराँव एवं मुंडा जनजातियां यहां रहते हैं। कृषि, ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय है, किसान सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर हैं। इसलिए केवल खरीफ फसलों की खेती की जाती है।

केन्द्र सरकार ने पंचायतों को ढेर सारे अधिकार दे दिये हैं, और उन्हें गांव में विकास का उत्तर दायित्व सौंप दिया है. इस तरह पंचायतों का कार्यक्षेत्र बड़ा हो गया है, और पंचायत आत्मनिर्भर हो रहे हैं. गांवों में आज सड़क बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार इत्यादि सुविधाओं का विकास तेजी से हो रहा है, तथा सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन भी सुचारू रूप से चल रहा है. गुमला जिले के ग्राम पंचायतें आज ग्राम के विकास के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत बहुत सारे प्रयास कर रही है, जैसे मनरेगा, सिंचाई, पशुपालन, मछलीपालन इत्यादि. इस योजना के तहत ग्रामीण लोगों को रोजगार गांव में ही प्राप्त हो जाता है, जिससे लोगों को जीवन यापन के लिए गांव छोड़ कर शहर जाना नहीं पड़ रहा है. इस तरह गांव से शहर की ओर पलायन पर रोक लगी है और साथ ही ग्रामीण लोगों के आय में वृद्धि हुई, और जीवन स्तर में भी सुधार हुआ है. महिलाओं को पंचायत चुनाव में आरक्षण मिल जाने से ग्रामीण महिलाएं घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं. महिला प्रतिनिधि ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही हैं. गुमला जिले के ग्राम पंचायतें गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, शहर के नजदीक या शहर से जुड़े हुए गांव में तो विकास अपनी चरम सीमा पर है, और उन्हें सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है, सरकार गांव में उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, और आवास जैसी मूलभूत सुविधाएँ दे रही हैं, साथ ही शासन में ग्रामीण लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उनमें चेतना और जागरूकता का संचार भी कर रही है. लेकिन शहर से दूर – दराज के गांव का विकास आज भी अधूरा है, जैसे कई ऐसे गांव है जहाँ कच्ची सड़क है, परन्तु परिवहन सुविधा नहीं है, पुल,

बिजली एवं स्वास्थ्य केंद्र नहीं है. गांव में पर्याप्त हैण्डपम्प नहीं है, स्कूल के लिए पर्याप्त भवन नहीं है, कई स्कूल भवन जर्जर हालत में है, स्कूल में पीने के लिए हैण्डपम्प नहीं है तथा शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है. इस प्रकार कई ऐसे समस्याएँ है जिनका समाधान नहीं किया गया है, ये सब कार्य अभी अधूरें हैं,जिन्हें पंचायती राज्य व्यवस्था के माध्यम से पूरा करने की आवश्यकता है. . झारखण्ड के गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड में पंचायत राज व्यवस्था के तहत ग्रामीण विकास के स्तर में हुए बदलावों का अध्ययन इस शोध के तहत किया जायेगा. राँची जिले से नजदीक होने के कारण गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड की स्थिति में सुधार का स्तर क्या है इस अध्ययन में विशेष ध्यान दिया जायेगा.

अनुसन्धान कार्य की समस्या

वर्तमान अनुसन्धान कार्य निम्नांकित समस्याओं को चिन्हित करने का प्रयास करेगा जो इस प्रकार से हैः—

1. पंचायती राज व्यवस्था में गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड के पंचायतों में ग्रामीण विकास की स्थिति क्या है?
2. क्या पंचायती राज व्यवस्था के कारण ग्रामीण विकास से चैनपुर प्रखंड के पंचायतों के ग्रामीणों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है?
3. क्या पंचायती राज व्यवस्था के कारण चैनपुर प्रखंड के गाँव आत्मनिर्भर हो रहें हैं?
4. क्या गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड में पंचायती राज व्यवस्था के तहत महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है?

साहित्य समीक्षा

1. मेहता, बलवंत राय समिति (1957), को पंचायती राज के संचालन और कार्यों को तैयार करने का काम सौंपा गया था। उसे इस बात की जाँच करने के लिए नियुक्त किया गया था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस हद तक स्थानीय पहलों का उपयोग करने में सफल हुए हैं. समिति ने पाया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम (सीडीपी) लोकप्रिय पहल करने में विफल रहे हैं कि पंचायत से उच्च स्तर पर स्थानीय निकायों ने इसमें बहुत कम उत्साह दिखाया है. समिति इस नतीजे पर पहुंची कि जब तक हम स्थानीय जरूरतों और संसाधनों का ख्याल रखने के लिए एक प्रतिनिधि और लोकतांत्रिक संस्था नहीं बनाते हैं, तब तक हम स्थानीय हितों को जगाने और विकास के क्षेत्र में स्थानीय पहल को प्रज्वलित करने में सक्षम नहीं होंगे. इसलिए, समिति ने विकास कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ग्रामीण स्वशासन की त्रिस्तरीय प्रणाली–ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और जिला पंचायत की शुरुआत करने की सिफारिश की.
2. मेहता, अशोक समिति (1978), का मुख्य कार्य पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज की पुछताछ करना एवं उन्हें मजबूत बनाने के उपाय सुझाना था। इस समिति ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया है कि 'लोकप्रिय भागीदारी से रहित विकास' कमजोर नींव पर है. यह स्पष्ट रूप से देखा गया है कि आत्मनिर्भर और स्व–उत्पादक होने के लिए ग्रामीण विकास में भागीदारी साथ–साथ दिखाना होगा. इसने सिफारिश की है कि ग्रामीण विकास और ग्रामीण कल्याण केवल स्थानीय पहल और स्थानीय दिशाओं से ही संभव है. अंतिम विश्लेषण में, यह स्थानीय विकास के संबंध में स्थानीय लोगों की इच्छा की अभिव्यक्ति का साधन होना चाहिए.
3. जॉन और जोस (1999), ने पंचायत विषय पर अपना विचार रखा है। उसने ग्राम सभा और पंचायत के बीच संबंधों की जांच की. उन्होंने कहा कि अधिकांश राज्यों में इन दोनों के बीच व्यावहारिक संबंध अभी उभरना बाकी है और यह खुलासा किया कि एक प्रभावी ग्राम सभा केवल लोगों के प्रतिनिधियों के स्वैच्छिक सहयोग से ही संभव है, जब पंचायत को पर्याप्त शक्तियां दी गई हों.

4. शुक्ला. आशुतोष (2011), इन्होनें "कुरूक्षेत्र पत्रिका" अध्ययन में बताया कि भारत की अधिकांश जनता गांवों में रहती है अतः ये गांव ही हमें महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं. इतिहास गवाह है कि गांवों पर आधारित कृषक अर्थव्यवस्था वाले देश ही आज विकसित देश कहलाता है. अगर हम फ्रांस की बात करे तो यूरोप में सबसे बड़ा कृषक समाज फ्रांस का ही है और इसी कृषक समाज के दम पर फ्रांस आज विकसित देश कहलाता है. भारत सरकार ने अपनी जिम्मेदारी प्रमुख तौर से निभाई है और गांवों में विशेष कार्यक्रमों को लागू किये है ताकि गांवों का विकास हो जिससे देश में मांग आपूर्ति में कोई कमी नहीं रहे, सरकार ने हमारे सभी संकट को समाप्त करने के लिए और गांवों की समुचित भूमिका के निर्वहन के लिए हरितक्रांति लाई जिससे देश में अन्न संकट का समापन हुआ, गांवों के विकास आम आदमी के हितो को ध्यान में रखकर भ्रष्टाचार मुक्त बेहतर सब्सिडी पहुच की नीति सरकार ने अख्तियार की है.
5. राजेश, (2005), ने "कुरूक्षेत्र पत्रिका" अध्ययन में पाया कि ग्राम विकास में पंचायतों का योगदान महत्वपूर्ण होता है. ग्रामीण विकास मुख्यतः तीन मुद्दों से जुड़ा है, पहला, ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त गरीबी को दूर करने हेतु रोजगार के अवसर प्रदान करना. दूसरा, गांवों में शिक्षा स्वास्थ्य पेयजल बिजली तथा आवास जैसी मूलभूत सुविधाओं को विकसित करना एवं तीसरा, देश के शासन में ग्रामीण की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उनमे चेतना और जागरूकता का संचार करना. अतः इन्हीं तीन मुद्दे को लेकर अगर पंचायत कार्य करती है तो वह दिन दूर नहीं जब गांवों में भी शहरों की तरह विकास ही विकास दिखाई देंगें एवं गांव और शहर में कोई अंतर नहीं दिखाई देगा. इस तरह गांवों में भी शहरों जैसी सुविधा मिल सकेगी.
6. सिंह, विमल कुमार (2005), इन्होंने अपने लेख 'ग्राम विकास और अप्रवासी भारतीय' में बताया कि बेहतर भविष्य की तलाश में अपने मूलस्थान को छोड़कर किसी अन्य स्थान मे जाकर बसना मानव इतिहास में एक स्वाभाविक प्रक्रिया रही है. इस प्रकार प्रतिभा पलायन की दो स्वरूप है पहला, गांवों से छोटे – बड़े शहरों की ओर और दूसरा, भारत के शहरों से विदेशी शहरों की ओर. भारत में विदेशों में हो रही प्रतिभा पलायन

की प्रक्रिया को लेकर चर्चा होती रही है लेकिन गांवों से शहरों की ओर पलायन को लेकर कम ही चर्चा होती है.

7. घोष (2005), ने "राज्य की राजनीति और भारत में पंचायतें" में ग्रामीण गरीबों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने में पंचायत की भूमिका का हवाला दिया है, भले ही उन्हें राज्य सरकार से शक्तियों और संसाधनों के रूप में अधिक सहायता प्राप्त न हो. उन्होंने ऐसे तरीके और साधन सुझाए जिनके माध्यम से ये संस्थान गरीबों सहित ग्रामीण लोगों के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं. उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पंचायत की एजेंसी के माध्यम से स्थानीय स्तर की योजना की शुरूआत इन निकायों को सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा जो ग्रामीण गरीबी में कमी को प्रभावी बनाने के लिए हस्तक्षेप करने के लिए एक आवश्यक शर्त है.
8. शर्मा, एवं स्वाति (2008), इन्होंने अपने लेख "भारत में ग्रामीण विकास – चिंता अब भी दूर नहीं" में बताया कि भारत गांवों मे रहता है और इसके विकास की अनिवार्य और प्रारंभिक शर्त है – गांवों का विकास. योजना आयोग के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने के लिए विभिन्न पंचवर्षीय योजनायें बनाई गई तथा सभी से ग्रामीण विकास पर निरंतर ध्यान दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप लोगों के सामान्य जीवन स्तर में सुधार हुआ एवं प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ी है. इतना सब होने के बावजूद समस्या का अपेक्षित समाधान खोज पाने में सरकारी प्रयास सर्वथा अपर्याप्त ही सिद्ध हुए है.
9. कुमार, लोकेश (2009), इनके लेख "गांवों को विकास की ओर ले जाती पंचायतें" से पता चलता है कि आज सामान्यतः पंचायतों के लिए जो कर्तव्य एवं दायित्व निर्धारित किए गए उनमें आर्थिक विकास एवं न्याय से संबंधित योजनाओं को तैयार करना, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाओं का क्रियान्वयन, भूमि सुधार,लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, शिक्षा व्यवस्था महिला व बाल विकास आदि शामिल है. किंतु पंचायत की भूमिका को और अधिक व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करने की आवश्यकता है, ताकि पंचायत में चुने हुए नुमाइन्दे ही नहीं अपितु गांव की प्रत्येक व्यक्ति विकास को अपना कर्तत्य एवं दायित्व समझे और गांव किसी भी मायने में शहर से कम न हो.

10. पटेल, सुधीश कुमार (2009), इन्होंने अपने लेख "पंचायती राज में रोजगार की बदलती तस्वीर" में बताया कि 'ग्राम' पंचायतों के सामने सबसे जटिल समस्या ग्रामीणों का पलायन रोकने की है. इसके लिए गांव में ही ग्रामवासियों को रोजगार उपलब्ध कराना आवश्यक है. परस्पर सहयोग के आधार पर काम करने से असम्भव कार्य भी संभव हो जाते है. इसलिए लोगों को स्वरोजगार प्रारंभ करवाना पंचायतों का कर्तव्य है.

11. चौहान, सुरेन्द्र सिंह (2009), इनके लेख से "ऐसे होगा गांव का संमग्र विकास'' से पता चलता है कि वास्तव में गांव एक सम्पूर्ण इकाई है, यदि हमारे गांव सुदृढ़ रहे तो भारतीय अर्थव्यवस्था समाज व्यवस्था और राज्य व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी. इस विचार को आधार मानकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ग्राम को आदर्श ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया गया है. स्वतंत्रता के पूर्व भी ग्राम विकास की दृष्टि से हमारे महापुरूषों संतो और समाज सेवियों ने निरंतर प्रयास किए हैं. वस्तुतः केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा घोषित शासकीय योजनाओं में गांव के आर्थिक विकास पर बल दिया जाता है.

12. उपाध्याय, देवेन्द्र (2010), इन्होंने अपने लेख "पंचायत राज और महिला संस्कृतिकरण'' (महात्मा गांधी के सपनो का भारत) में बताया है कि भारत सरकार ने संविधान की 73वां संशोधन विधेयक पारित कर ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू कर महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण देकर गांधी जी के सपनों को साकार करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाया गया. गांधी जी ने "मेरे सपनो का भारत" में पंचायत राज के बारे में जो विचार व्यक्त किये हैं, वे आज वास्तविकता के धरातल पर साकार हो चुके हैं. क्योंकि देश में समान त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू हो चुकी है, जिसमें एक–एक गांव को अपने पैर पर खड़े होने का अवसर मिल रहा है, और गांव विकास की ओर तेजी से अग्रसर हो रहा है.

13. पाण्डे हरिराम (2010), इन्होंने अपने लेख "भारत का विचार और ग्राम विकास'' में यह बात बताई कि 40 के दशक के प्रतिष्ठित दार्शनिक बट्रेंड रसल ने सत्ता की व्याख्या करते हुए कहा था कि स्वयं, तानाशाही और कम्यूनिज के विरोधी हैं. पर गांवों के

विकास के लिए कम्यूनिज्म और सोशलिज्म का तरीका ही सरल है. लेकिन गांधी जी ने उसी अवधि में ग्राम विकास के न्यूविलयर डिजाइन का समर्थन किया. महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी की लड़ाई के दौरान भारत का विचार फला– फूला और विकसित हुआ.

14. सिंह, सुरेन्द्र बहादुर (2011), इन्होनें अपने लेख "पंचायती राज से बेहतर हुआ ग्रामीण प्रशासन'' में बताया कि 73 वें संविधान संशोधन के बाद पंचायतों को ढेर सारे अधिकार मिले, इसके बाद पंचायतें लगातार सशक्त हो रही हैं. आज स्थिति यह है कि ग्राम पंचायतें आधुनिक सुविधाओं से लैस हो रही हैं केन्द्र सरकार की ओर से उन्हें ई–गर्वनेंस से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, आज ग्राम–पंचायत स्तर के चुनाव को काफी गंभीरता से लिया जाता है, तमाम राजनीतिक दल ग्राम पंचायत चुनाव की स्थिति पर ही देश की जनता की मनोस्थिति का आंकलन करते हैं, और उसी आधार पर ही सरकार के कामकाज की समीक्षा भी की जाती है, पंचायतों को मिले अधिकारों के बाद जिस तरह से बदलाव हो रहा है, वह भारत के भविष्य की काफी खुशनुमा तस्वीर दर्शाता है.

15. सिन्हा, विकास कुमार (2013), इनके लेख "पंचायतों से सुधर रही है गांवों में जिंदगी" से पता चलता है कि पंचायतों की रूपरेखा व कल्पना सदियों पुरानी है, पुरातनकाल से चली आ रही पंचायतें देश आजाद होने के बाद और सशक्त हुई. इसमें सच्चाई है कि पुरातनकाल से ज्यादा महिलाओं को पंचायतों में अधिकार मिले है. पंचायतों के सशक्त होने से देश के गांवों में जीवन स्तर में सुधार किया जा रहा है, देश की कई पंचायतों को आदर्श पंचायत' का दर्जा प्राप्त है. यह आंकड़ा जीवन स्तर में सुधार को प्रदर्शित करता है. आज देश के कई गांवों में स्वच्छ पेयजल स्वास्थ्य सुविधाएँ और शिक्षा की सुविधाएँ लोगों को आसानी से मिल रही हैं. झारखंड जैसे आदिवासी क्षेत्रों में तो पंचायतों ने जीवन–स्तर को सुधारने, भ्रष्टाचार को रोकने, काला बाजारी में अंकुश लगाने में अहम भूमिका निभाई है, कई पंचायतें ग्राम–स्तर पर पारदर्शिता की बात कर रही हैं. यानी ईमानदारी पूर्वक कोशिश होने से गांवों में जीवन – स्तर में सुधार देखने को मिल रहा है.

16. श्रीवास्तव, मयंक (2013) इन्होनें अपने लेख "ग्रामीण भारत की बदलती तस्वीर" में बताया कि भारत गांवों का देश है और इसकी 78 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है, अतः भारत के विकास के लिए आवश्यक है ग्रामीण विकास, बिना ग्रामीण विकास के अब्दुल कलाम का 2020 तक भारत के विकसित देश बनने का सपना सिर्फ सपना रह सकता है. स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे देश में कृषि,उद्योग,यातायात, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारी अर्थव्यवस्था आदि सभी क्षेत्रों में काफी तेजी से विकास हुआ है. पिछले 70 सालों में विकास को हर व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए भारत सरकार ने बड़ी–बड़ी योजनायें लागू की है.
17. जगन्नाथ, रतन (2012), इनके लेख "ग्रामीण विकास और वित्तीय समावेशन'' से पता चलता है कि वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड, निरंतर अनुसंधान कर रहे हैं. इस कार्य में सरकारी क्षेत्र के बैंक एवं जिला स्तरीय सहकारी बैंक भी अपना योगदान दे रहे हैं. ग्रामीण और वित्तीय सुविधा विहिन इलाकों में वित्तीय साक्षरता और हमारी सक्रिय कार्य प्रणाली के माध्यम से वित्तीय समृद्धि के लिए सफलता प्राप्त की जायेगी. वित्तीय समावेशन एवं ग्रामीण विकास के पहलुओं पर अध्ययन करने से ज्ञात हुआ है कि आगामी दिनों में वित्तीय समावेशन की कार्यप्रणाली अधिक गतिमान एवं समस्या रहित होगी, जिससे ग्रामीण इलाकों के विकास और योजनायें सक्रिय रूप से कार्यान्वित होगी और डॉ. अब्दुल कलाम का नवनिर्माण का सपना वास्तव में बदल जायेगा. सभी ग्रामीणों को पर्याप्त मात्रा में अनाज की आपूर्ति होगी, मजदूरों को रोजगार मिले और वित्तीय समावेशन के माध्यम से बैंकों का राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य पूरा होगा.
18. हरिचरण (1983), इन्होनें अपने लेख "ग्राम विकास में पंचायती राज संस्था की भूमिका की विवेचना कीजिए" में यह अध्ययन किया है कि ग्राम पंचायती राज संस्थाओं की आय, व्यय और भौतिक उपलब्धियों का विस्तृत विश्लेषण करने का प्रयास था, जो ग्रामीण विकास का साधन तभी बन सकते हैं, जब उन्हें पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराये जायें।

19. पी. सी. सिकलीगार (2020), इन्होंने अपने पुस्तक पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास में दोनों के मध्य संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। पंचायती राज जनकेन्द्रित संस्था है, जो ग्रामीणों के जीवन स्तर में गुणवत्ता लाता है। भारत गाँवों का देश है जहाँ बड़ी आबादी निवास करती है। यह पुस्तक पंचायती राज व्यवस्था की नीति, योजना एवं इसके प्रभावपूर्ण कार्य योजना पर प्रकाश डालता है।

20. टिम्मीडी नागा राजू (2023), इन्होनें अपने लेख "भारत में पंचायत राज संस्थाएँ" में यह बताया है कि पंचायत राज एक राजनीतिक व्यवस्था है, यह स्थानीय स्व–शासन का एक रूप है। पंचायती राज एक संस्था है जो हमें भारतीय सभ्यता की प्रारंभिकता का परिचय कराती है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्रामीण समुदाय को शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं।

अनुसन्धान कार्य का उद्देश्य

1. झारखण्ड के गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड के निर्वाचित मुखियाओं की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना.
2. गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड के ग्रामीण विकास की भूमिका का अध्ययन करना.
3. गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड के ग्रामीण विकास के लिए विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत के समक्ष आने वाली चुनौतियों का अध्ययन करना.
4. गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड के ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रति ग्रामीणों के दृष्टिकोण तथा व्यवहार का विश्लेषण करना.
5. गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत में महिला मुखिया के समक्ष राजनीतिक भागीदारी में आने वाली चुनौतियों का अध्ययन करना.

परिकल्पना

1. पंचायती राज व्यवस्था के कारण ग्रामीण विकास से चैनपुर प्रखंड के ग्रामीणों की सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है.
2. गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड में ग्रामीण विकास के कारण ग्रामीणों की साक्षरता में वृद्धि हुई है.
3. गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड में ग्रामीण विकास के कारण बेरोजगारी में कमी आई है.
4. गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड में पंचायती राज व्यवस्था के कारण गांव आत्मनिर्भर हो रहे हैं.

अनुसन्धान प्रारूप एवं शोध पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन में वर्णनात्मक तथा विश्लेषणात्मक शोध पद्धतियों का प्रयोग किया जाएगा. प्रस्तावित अध्ययन क्षेत्र के रूप में झारखण्ड राज्य के गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड में ग्रामीण क्षेत्रों का अध्ययन किया जायेगा. गुमला जिले के ग्रामीण क्षेत्र में चैनपुर प्रखंड में पंचायत की सन् 2022 के निर्वाचन में चयनित समस्त जन प्रतिनिधियों के कार्यों का अध्ययन किया जायेगा.

आंकड़ा संग्रहण(तथ्य संकलन) हेतु किये जाने वाले उपकरण (तकनीक)

प्रस्तुत अध्ययन के लिये प्राथमिक व द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया जायेगा; प्राथमिक स्रोतों के अन्तर्गत तथ्यों के एकत्रीकरण हेतु साक्षात्कार–अनुसूची का प्रयोग किया जायेगा. द्वितीयक स्रोतों में प्रमुख रूप से पुस्तक, समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं, जर्नल्स व ई–जर्नल्स, सरकारी दस्तावेजों का प्रयोग किया जायेगा.

अध्ययन की सार्थकता

भारतीय शासन व्यवस्था विकेन्द्रीकृत व्यवस्था पर आधारित है, पंचायती राज व्यवस्था उसका एक सफल उदाहरण है, पंचायती राज व्यवस्था में विशेष रूप से महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त बनाने का कार्य किया जा रहा है तथा ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है. ग्राम पंचायत के गठन से ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है. ग्राम पंचायत के गठन से ग्रामीणों को उनके मूलभूत सुविधा गांवों में ही मिलने लगा है, जैसे–स्वाथ्य केंद्र, स्कूल, सिंचाई सुविधा इत्यादि की व्यवस्था ग्रामीण विकास से संभव हुआ है. शोध के माध्यम से ग्रामीण विकास के लिए ग्राम पंचायत के समक्ष उठने वाली चुनौतियों को जानना स्वयं उनके वास्तविक भूमिका का अध्ययन करना व ग्रामीण विकास में उनकी भूमिका का विश्लेषण किया जायेगा.

वर्तमान समस्याओं के सन्दर्भ में इसकी प्रासंगिकता एवं सामाजिक अपेक्षाएं

प्रस्तावित विषय पर आशातीत परिणाम यह होगा कि इससे समाज को यह जानकारी मिलेगी कि ग्राम के विकास के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न योजनायें चलाई जाती हैं जो उनके आर्थिक व सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है. इसके अलावा आशातीत परिणाम यह होगा कि लोग जागरूक एवं सजग होंगे कि ग्राम प्रमुख के कार्य से उनके एवं गांव का विकास हो रहा है या नहीं. इस अध्ययन के माध्यम से गांव के लोग सरपंच तथा मुखिया जैसे प्रतिनिधि चुनते समय योग्य कुशल एवं पढ़े लिखे प्रतिनिधियों को ही वरीयता देगें और ग्राम सभा की बैठक में बढ़–चढ़कर हिस्सा लेगें और अपने विचार ग्राम सभा में रखेंगे जिससे गांव का आर्थिक व सामाजिक विकास हो सकेंगे.

भविष्य कार्य

भारत अपनी आजादी के बाद से ही एक कल्याणकारी राज्य रहा है, भारत सरकार ने देश में ग्रामीणों की वित्तीय सहायता को बेहतर बनाने के लिए, कई कार्यक्रमों को लागू किया, फिर भी स्थानीय सरकार एवं स्थानीय अधिकारियों की गलत नीति एवं उदासीनता के कारण यहाँ के लोग मूलभूत सुविधाएँ एवं विकास से अक्षुत रहे हैं. अतः इस अनुसन्धान के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण परिवेश की सही तस्वीर एवं परिदृश्य को आंकलन करने का प्रयास करेगा, तथा यहाँ के लोगों के सार्वजनिक भलाई हेतु यह अनुसन्धान मील का पत्थर साबित होगा. यह अनुसन्धान वर्तमान ज्ञान में इजाफा करने में योगदान करेगा. गुमला की वर्तमान स्थिति के आधार पर भविष्य में ग्रामीण विकास के बदलाव के संभावना के स्तर को तलाशने का प्रयास इस शोध के माध्यम से किया जायेगा. साथ ही ग्रामीण विकास में स्वास्थ्य और शिक्षा के गुणवता में सुधार कैसे किया जाये का अध्ययन पर विशेष जोर दिया जायेगा. इस शोध के पश्चात पंचायतराज व्यवस्था में ग्रामीण विकास के विषयों से संबंधित कानूनों की समीक्षा पर विशेष ध्यान दिया जायेगा. झारखण्ड के गुमला जिला वनाच्छादित जिला है, जिसके कारण पहाड़ों और जंगलों जैसे दुर्गम स्थानों पर पंचायती राज व्यवस्था के योजनाओं के कार्यान्वयन के बेहतर आधारशिला को तैयार किया जायेगा.

संभावित अध्याय

प्रथम अध्यायः पंचायती राज व्यवस्था और ग्रामीण विकासः परिचय

द्वितीय अध्यायः गुमला जिले का ऐतिहासिक, भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य

तृतीय अध्यायः झारखण्ड में पंचायती राज का इतिहास और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम

चतुर्थ अध्यायः झारखण्ड में ग्रामीण विकास कार्यक्रम की रुपरेखा और कार्यक्रम का मूल्यांकन

पंचम अध्यायः गुमला जिले के चैनपुर प्रखंड में पंचायती राज व्यवस्था और ग्रामीण विकास का मूल्यांकन

छठा अध्यायः पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण विकास हेतु क्षेत्रीय अध्ययनः एक चुनौती

निष्कर्ष और सुझाव

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. अलघ, वाई. के (2002), "भारत में पंचायती राज और योजनाः भागीदारी संस्थान और ग्रामीण सड़क, नई दिल्ली एशियाई परिवहन विकास संस्थान।"
2. आलोक, वी. एन. और चौबे पी. के. (2010), भारत में पंचायत, राज्यों के द्वारा भक्ति को मापना, मैकमिलन पॉब्लिशर्स इंडिया लिमिटेड, दिल्ली.
3. एच, हरिचरण, (1983), पंचायती राज और ग्रामीण विकास–तमिलनाडु का अध्ययन, कांसेप्ट, नई दिल्ली, पेज 61.
4. कुमार, लोकेश (2009), कुरूक्षेत्र पत्रिका अगस्त 2009 पृष्ठ क्रमांक 1 से 7
5. गौड़, वी. वी. (2015), इन्क्लुसन एंड एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल वीमेन इन एल. ए. सी. वैल्यू चेन एंड मार्केट–ए केस स्टडी ऑफ गुमला डिस्ट्रिक्ट इन झारखण्ड सपोर्टेड बाय पीएसिएस, नई दिल्ली.
6. चौहान, सुरेन्द्र सिंह (2009), कुरूक्षेत्र पत्रिका, पृष्ठ क्रमांक 40 से 45
7. जगन्नाथ, रतन (2012),लोक पंचायत, आर्टिक्ल 2012, पेज नं. 1
8. जोशी, बी.पी. और नरवानी, जी.एस. (2002), "भारत में पंचायती राज, रावत प्रकाशन,जयपुर
9. दास सौरभ (2023), ग्रामीण विकास का एक परिचय, 1 जनवरी 2023, एशियन ह्यूमैनिटीज प्रेस
10. देसाई वसंत (2005), "पंचायती राज लोगों की शक्ति" हिमालय प्रकाशन हाउस।
11. पटनायक, आर. (1994), "स्थानीय सरकार प्रशासन सुधार", अनमोल पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
12. पटेल सुधीश कुमार (2009), कुरूक्षेत्र पत्रिका, अगस्त 2009, पृष्ठ क्रमांक 8 से 12
13. पाण्डेय, हरि राम (2010), खोज खबर, पेज नं. 1

14. पी. सी सिकलीगार (2020), पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, 17 सितम्बर 2020, आई. एस. बी. एन. 13, प्रथम संस्करण।
15. बी.के.साहु (2003), "भारत में ग्रामीण विकास" अनमोल प्रकाशक, नई दिल्ली।
16. मैथ्यू, बी – जॉर्ज, बी.एस. (2009), "स्थानीय शासन में समावेश और बहिष्करण", ग्रामीण भारत से क्षेत्र अध्ययन, ऋषि प्रकाशन, इंडिया प्रा. लिमिटेड, नई दिल्ली.
17. महिपाल, (2003), "भारत में पंचायतों की आवश्यकता और स्रोत के बीच अन्तर, मित्तल प्रकाशन, नई दिल्ली।
18. मेहता, ए. (1978), "पंचायती राज संस्थाओं पर समिति". ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली, पेज 22
19. मेहता, बी (1957), "सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के अध्ययन से टीम की रिपोर्ट, खंड 1, भारत सरकार, नई दिल्ली, पेज 6–8.
20. राजेश (2005), कुरूक्षेत्र पत्रिका, पृष्ठ क्रमांक 15 से 17,
21. रेड्डी, राम (2005), "भारत में पंचायती राज की ढांचा" हेरिटेज प्रकाशन, दिल्ली।
22. विस्वाल, तपन (2017), भारतीय शासन संवैधानिक लोकतंत्र और राजनीतिक प्रक्रिया, ओरियंत ब्लैकस्वॉन, हैदराबाद
23. शुक्ला, अशुतोष (2011), कुरूक्षेत्र पत्रिका, अक्टूबर 2011, पृष्ठ 39 से 42
24. सिंह, विमल कुमार (2005), भारतीय पक्ष, 2009 पेज नं. 1
25. सिंह, सुरेन्द्र बहादुर (2011), कुरूक्षेत्र पत्रिका, अगस्त 2011, पृष्ठ 3 से 8
26. सिंह, अभय प्रसाद एवं मुरारी, कृष्ण (2018), भारत में संवैधानिक शासन और लोकतंत्र, ओरियंट ब्लैकस्वॉन प्राईवेट लि०, हैदराबाद
27. सिन्हा, विकास कुमार (2013), कुरूक्षेत्र पत्रिका, अक्टूबर 2013, पृष्ठ 37 से 39
28. श्रीवास्तव, मयंक (2013), कुरूक्षेत्र पत्रिका, अक्टूबर 2013, पृष्ठ 7 से 11